न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 33 / 2019
दायर दिनांक :— 09 / 05 / 2019
निर्णय दिनांक :— 10 / 12 / 2019

अनवान

श्री पुखराज राव पिता बंशीलाल राव निवासी कलालों की आंती तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भु राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द पत्रावली संख्या 40 / 2018 तारीख 15.11.2018 सरकार बनाम पुखराज

उपस्थित :—
1—श्री सम्पत लाल लढ्ढा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2—श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया हैं कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि आराजी नं 376 / 7 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म पडत II श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव निवासी कलालों की आंती के नाम गैर खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 25.09.2018 को रिव्यु करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकारों को निरस्त करते हुए पुनः भूमि गैर खातेदारी हक से दर्ज करने के आदेश दिनांक 15.11.2018 से पीडित होकर यह अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम कलालों की आंती पटवार हल्का लसानी, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द में स्थित कृषि भूमि आराजी नं 376/7 रकबा 2.00 बीघा भूमि किस्म पडत II श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव निवासी कलालों की आंती के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज थी। श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव ने अपने गैर खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 376/7 रकबा 2.00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2018 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा अवगत कराया कि उसके द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना की जा चुकी है। एवं आवंटन सम्बन्धी कोई विवाद विचाराधीन नहीं है। एवं भूमि आवंटन को 16 वर्ष हो चुके है। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 14.08.2018 को मूल ही आवेदन पटवारी हल्का एवं गिरदावर को प्रेषित कर रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 21.08.2018 तहसीलदार देवगढ को प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि आवंटी श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव द्वारा वक्त आवंटन से उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर आवंटन की शर्तो का पूर्णतः पालन किया गया। लगान बकाया नहीं है। तथा यह आवंटन आज तक अविवादित है किसी न्यायालय में वाद लम्बित नहीं है न ही स्थगन आदेश है। प्रार्थी को आवंटन हुए 16 वर्षो से अधिक हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना कर ली जाने से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिए जाने की अनुशंषा पटवारी हल्का लसानी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा दी गई। उक्त अनुशंषा से संतुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा श्री पुखराज पिता बंशीलाल के नाम पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने का आदेश दिनांक 25.09.2018 को दिया गया। तथा पटवारी हल्का लसानी को राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आगे निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट श्री पुखराज पिता बंशीलाल को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का जो आदेश दिया उसकी पालना तहसीलदार देवगढ द्वारा पटवारी हल्का लसानी से करवाई जाकर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों का राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना था जबकि तहसीलदार द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए अपने ही निर्णय दिनांक 25.09.2018 की पालना नहीं करवाई गई। जबकि पुर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपने ही फैसले को निरस्त करने हेतु दिनांक 28.10.2018 को सूचना पत्र दिया जिसमें सुनवाई की तारीख दिनांक 06.11.2018 नियत की गई। तहसीलदार देवगढ द्वारा दिनांक 28.10.2018 को सूचना पत्र श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव को दिया है। तथा तामिल व्यक्तिशः नही करवा कर नोटिस की तामिल अनपढ़ हेमलता पर की गई, जिस पर तामिली की तारीख ही अंकित नहीं है, जिससे यह पता नहीं लगता कि यह नोटिस कब तामिल हुआ। तथा हेमलता को अपीलार्थी की पत्नी बताकर तामीली की गई हैं। अपीलार्थी की हेमलता पत्नी नहीं है। तथा अपीलार्थी को नोटिस की जानकारी ही नहीं हुई, तामिल पर्याप्त मानना विधिक त्रुटि है। दिया गया सूचना पत्र 30 दिन के पश्चात एवं अपीलाण्ट को बिना सुने दिया गया। जबकि अपीलांट को खातेदारी दिनांक 25.09.2018 को दिये गये तथा खातेदारी निरस्त करने का सूचना पत्र दिनांक 28.10.2018 यानि 1 माह 3 दिन के बाद दिया गया । जबकि नियमों में प्रावधान हैं कि किसी भी निर्णय को रिव्यू करने के लिये 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है। अपीलान्ट इस आराजी भूमि का खातेदार था और इस भूमि से सम्बन्धित समस्त खातेदारी अधिकार मुझ अपीलान्ट में निहित थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद आराजी संख्या 376/7 को पुनः गैरखातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिनांक 15.11.2018 को दिया है । वह अल्ट्रावायरस होकर काबिल खारीज है। तहसीलदार देवगढ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बंना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुऐ प्रकाशन तथा ब्लॉक कॉग्रेस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच

पर दिये खातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिव्यु करने का भी कोई आधार नहीं हैं, क्योंकि किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार को समाप्त करना तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह रिव्यु इसलिए भी आधारहीन हैं, क्योंकि तहसीलदार देवगढ द्वारा बिना कोई जॉच करवाये ही मनमाने एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से एवं 30 दिन की मियाद के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.11.2018 में पत्रावली में विगत पाँच वर्षों की गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त करना बताया गया हैं, जबकि उक्त निर्णय की सम्पूर्ण एवं आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में कहीं पर भी गिरदावरी की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 21.08.2018 की सम्पूर्ण जाँच करके स्वयं तहसीलदार द्वारा 1 माह 5 दिन तक गहन अवलोकन एवं निरीक्षण करने के उपरान्त स्वयं सन्तुष्ट होकर दिनांक 25.09.2018 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। तत्पश्चात् उनके द्वारा मात्र समाचार पत्रों के आधार पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर एवं अपीलान्ट को सुने बिना दुर्भावनापूर्ण कार्यवाई करते हुए अपने स्वयं के फैसले को 1 माह 3 दिन बाद रिव्यु कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को अनुपस्थित बताकर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर विधि की अवहेलना की है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1. आर.आर.डी. 1977 पेज 185
2. आर.आर.डी. 1982 पेज 611
3.आर.आर.डी. 1977 पेज 314
4. ए.आई.आर 1977 कर्नाटक पेज 193
5. सेक्शन 86 एवं 87 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस उक्तानुसार दृष्टान्त पेश करते हुये निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश काबिल निरस्त है। अतः तहसीलदार देवगढ द्वारा आदेश दिनांक 15.11.2018 को निरस्त किया जाकर पुनः भूमि अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज फरमाई जावे।

अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार देवगढ द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल है। विधिनुसार तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गयी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे, उन खातेदारी अधिकार प्रदान करते समय जो त्रुटि थी वो रेकार्ड देखने से प्रमाणित हो रही थी क्योंकि उक्त प्रकरण में खातेदारी अधिकार देते समय जो त्रुटियां थी उसका उल्लेख ग्रामवासियों द्वारा की गयी शिकायत तथा शिकायत के आधार पर राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में छपी खबर के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार की पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया था। इस संबंध में तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए धारा 86 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार का उपयोग करते हुए संबंधित खातेदार को नोटिस जारी कर रिव्यू की कार्यवाही की गयी है जो विधिनुसार सही है। उक्त रिव्यू की कार्यवाही में आवंटी द्वारा शर्तों की पालना नहीं किया जाना पाया जाने से रिव्यू के आदेश पारित किये गये हैं जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। यहाँ पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार के आवेदन पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.08.2018 को अपने अधिनस्थ राजस्व कार्मिकों हल्का पटवारी एवं गिरदावर से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई जिसकी पालना में दिनांक 21.08.2018 को पटवारी हल्का एवं गिरदावर के द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आवंटी श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव द्वारा वक्त आवंटन से उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त कर आवंटन की शर्तो का पूर्णतः पालन

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

किया गया। लगान बकाया नहीं है। तथा यह आवंटन आज तक अविवादित है किसी न्यायालय में वाद लम्बित नही है न स्थगन आदेश है। प्रार्थी को आवंटन हुए 16 वर्षो से अधिक हो चुके हैं। प्रार्थी द्वारा आवंटन की सभी शर्तो की पालना कर ली जाने से गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिए जाने की अनुशंषा की गई हैं। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि हल्का पटवारी एवं गिरदावर की संयुक्त जॉंच रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.8.2018 से 25.09.2018 तक अर्थात 1 महीने से अधिक समय तक इस प्रकरण में सम्पूर्ण पत्रावली एवं साक्ष्यों की समीक्षा एवं जॉंच उपरान्त विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 25.09.2018 को अपना निर्णय पारित किया जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रार्थी श्री पुखराज पिता बंशीलाल जाति राव निवासी कलालों की आंती के नाम ग्राम कलालों की आंती में गैर खातेदारी हक से आवंटित हुई जिसका हाल आ0न0 376/7 में रकबा 2.00 बीघा भूमि होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। एवं प्रार्थी को भूमि आवंटन हुये 16 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है। एवं आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना कर ली गई है। अतः उक्त भूमि को राजस्थान भू राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 18 के तहत खातेदारी अधिकार देने की एवं नक्शे मे तरमीम करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाई गई है। जिस पर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं है।

परन्तु इसी प्रकरण में समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों से शिकायत का जब तहसीलदार देवगढ को ज्ञात होना बताया जाकर जब उसके द्वारा जो कार्यावाही अपनाई गई है यह आधारहीन एवं विधि विरूद्ध हैं। क्यों कि तहसीलदार देवगढ ने बिना आधार के मात्र लोगो की शिकायत को आधार बना कर तथा राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में हुऐ प्रकाशन तथा ब्लॉक कॉग्रेंस कमेटी की शिकायत को आधार मानकर पूर्व में पटवारी रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच पर दिये खातेदारी अधिकार को निरस्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। तहसीलदार को स्वयं के आदेश को रिव्यू करने का भी कोई आधार नहीं हैं। तथा निर्णय में कोई लिपिकीय त्रुटि अथवा तथ्यों के सम्बन्ध में कोई ठोस आधार के बिना ही तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने द्वारा पारित निर्णय को ही निरस्त कर दिया। इस प्रकार किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार को समाप्त करना तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह रिव्यु इसलिए भी आधारहीन हैं, क्यों कि तहसीलदार देवगढ द्वारा बिना कोई जॉच करवाये ही मनमाने एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से एवं 30 दिन की मियाद के उपरान्त यह आदेश पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.11.2018 में पत्रावली में विगत पॉच वर्षों की गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त करना बताया गया हैं, जबकि उक्त निर्णय की सम्पूर्ण पत्रावली एवं आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में कहीं पर भी उक्त रिपोर्ट संलग्न नहीं है। यहॉ पर महत्वपूर्ण तथ्य यह भी हैं कि तहसीलदार द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में पटवारी हल्का एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 21.08.2018 की सम्पूर्ण जॉच करके एक महीने से अधिक समय तक अर्थात दिनांक 21.08.2018 से 25.09.2018 तक स्वयं तहसीलदार द्वारा गहन अवलोकन एवं निरीक्षण करने के उपरान्त स्वयं सन्तुष्ट होकर दिनांक 25.09.2018 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट श्री पुखराज पिता बंशीलाल को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का जो आदेश दिया उसकी पालना तहसीलदार देवगढ द्वारा पटवारी हल्का लसानी से करवाई जाकर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों का राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाना था जबकि तहसीलदार द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए अपने ही निर्णय दिनांक 25.09.2018 की पालना नहीं करवाई गई। जबकि पुर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अपने ही फैसले को निरस्त करने हेतु अपीलान्ट को दिनांक 28.10.2018 को सूचना पत्र दिया। तत्पश्चात् उनके द्वारा मात्र समाचार पत्रों के आधार पर पटवारी हल्का एवं गिरदावर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त किए बगैर एवं अपीलान्ट को सुने बिना दुर्भावनापूर्ण कार्यवाई करते हुए अपने स्वयं के फैसले को विधि विरूद्ध तरीके से रिव्यु कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को अनुपस्थित बताकर अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर विधि की अवहेलना की है। सम्पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्ष को सुनने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार देवगढ द्वारा आनन फानन में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। यहां पर यह विवेचन करना भी उचित होगा कि अगर तहसीलदार देवगढ

को किसी माध्यम से अपने द्वारा गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु अपनाई गई प्रकिया पर संदेह होता तो उन्हे इस सम्बन्ध में उच्चतर राजस्व न्यायालय में अपील/निगरानी पेश करनी चाहिए थी। जबकि ऐसा नहीं करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के ही विधिक प्रकिया एवं विधि की अवहेलना करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह निर्णय पारित किया हैं, जो काबिल निरस्त हैं। अतः उक्तानुसार वर्णित तथ्यों के आलोक में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने के कारण इसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

उपरोक्त वर्णित विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पारित आदेश प्रकरण संख्या 40/2018 दिनांक 15.11.2018 आरम्भ से ही विधि विरूद्ध एवं शुन्य होने के कारण निरस्त किया जाता है। तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवगढ के निर्णय दिनांक 25.09.2018 यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की पालनार्थ अधिनस्थ न्यायालय को उसकी मूल पत्रावली सहित प्रेषित किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
राजसमन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द